



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/97/2019 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 18.12.2019

श्री रामदास पिता गणेशदास बैरागी (वैष्णव) निवासी बोदियाना, तह. व जिला चित्तौड़गढ़  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 31.12.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.09.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 97/2019/(31.12)/752 दिनांक 18.12.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.12.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 31.12.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से वांछित

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 97/2019 (सू.अ.)  
श्री रामदास बैरागी निवासी बोदियाना बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

सूचनाएँ आदिनांक प्राप्त नहीं हुई हैं अतः वांछित सूचनाएँ दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.09.2019 से दो बिन्दु पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 07 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(चेतन/देवड़ा)

लोक सूचना अपीलार्थी एक्स.सी.  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 97 / 2019 (सू.अ.) / 300

दिनांक:- 31 / 12 / 2019

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री रामदास पिता गणेशदास बैरागी (वैष्णव) निवासी बोदियाना, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(चेतन/देवड़ा)  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

